प्रपत्र-30

(For Linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

NO-339/XXVI- ACC II (2021-2022) @115-08-04-2022

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11-98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be divert for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **1.68** hectares of Forest land proposed to be diverted in favor of **Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) (a Government of Uttarakhand Undertaking)** for "**Development of 33 KV Transmission line for 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karnaprayag for RVNL in state of Uttarakhand"** which falls within jurisdiction of Village in Pawaki Devi Teshil under Tehri Garhwal Districts.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.68** Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub-divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed annexure 30.1 & 30.2

b. The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed.

c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and pre-agricultural communities

Encl.: As above

District Collector
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Office of the District Collector Tehri Garhwal

District Tehri Garhwal (Uttarakhand)

Proceedings of meeting of District Level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the District level Committee of District Tehri Garhwal (Uttarakhand) District Magistrate, Tehri Garhwal on date 15/03/2022 at Tehri Garhwal in which the application claiming rights in Pawaki Devi tehsil area measuring **1.68** hectares for **"Development of 33 KV Transmission line 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karnaprayag for RVNL in state of Uttarakhand"** of forest land under FRA ,2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divisional level committee of Pawaki Devi Teshil at Narendra Nagar under Tehri Garhwal District were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objections/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for said purpose.

Place:

Dated:

District Magistrate, Tehri Garhwal,
जिलाधिकारी
Cum
टिहरी गढ़वाल
Chairman District Level Committee

It is further certified that – Minutes of meetings of " **Development of 33 KV Transmission line 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karnaprayag for RVNL in state of Uttarakhand**" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for 0.8511 Hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section3(2) of FRA have been completed.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communities.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers

District Collector
(Tehri Garhwal)

Divisional Forest Officer
Narendra Forest Division
Muni-ki-Reti, Rishikesh
मुनि-की-रेती

District Social Welfare Officer
Tehri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उर्मिला पुण्डीर
सदस्य जिला पंचायत
वार्ड–44, तपोवन, नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

129

(संशोधित)

प्रपत्र- 30.1

परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 है0) तक निर्माण कार्य ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल
अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन को विद्युत् आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत् लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 है0 वन भूमि जो कि ग्राम **चमेली, तिमली एवं बवाणी** में स्थित है या क्षेत्र से होकर गुजरती है, का उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं ।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है ।

सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल, जिला) परिक्षेत्र के अंतर्गत 126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज लाईन परियोजना के अंतर्गत जिला टिहरी गढ़वाल, ग्राम **चमेली (गुल्लर), तिमली, बवाणी** में 126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (परियोजना एजेंसी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

दिनांक : 07/03/2022

7/3/22

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पावकी देवी
जनपद- टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7/3/22

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पावकी देवी
जनपद- टिहरी गढ़वाल

कार्यालय उपजिलाधिकारी नरेंद्र नगर (टिहरी गढ़वाल, जिला)

उपखण्ड स्तरीय समिति

आज दिनांक 07.03.2022 का परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य में जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 है0 वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के संबध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह नेगी	उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष	[signature] SDM
2	श्री मनमोहन सिंह बिष्ट	उप प्रभागीय वनाधिकारी	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी (नरेन्द्रनगर) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3	राहुल प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	Rahul ADO(SK) N.Nagar
4	उर्मिला पुन्डीर	जिला पंचायत सदस्य	उर्मिला पुण्डीर सदस्य जिला पंचायत वार्ड-44, तपोवन, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल Urmila

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे0) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चमेली

तहसील पावकी देवी, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड़ में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य में 126कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, ,0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चमेली द्वारा दिनांक 25-10-21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों हा हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा ...चमेली.....के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम चमेली.........
ग्राम सचिव

हस्ताक्षर/-

प्रधान ग्राम पंचायत चमेली
ह0 ....
दि0
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 नरेन्द्र नगर (टि0ग0)

नोटः- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभवित हो रही है,तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक 25-10-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चमेली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री देवसिंह पु० स्व० गुमानसिंह	Dev Singh
2.	" बीरसिंह पु० स्व० नारसिंह	बीर सिंह
3	" कुंवरसिंह पु० स्व० भीमसिंह	कुँवर सिंह
4.	" सुन्दरसिंह पु० स्व० प्रतापसिंह	सुन्दर सिंह
5.	" बलवीरसिंह पु० श्री चन्दनसिंह	बलवीर

प्रधान ग्राम पंचायत चमेली
ह० [illegible]
दि० ग्राम प्रधान
वि० ख० नरेन्द्र नगर (टि०ग०)

134

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे0) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......तिमली......

तहसील ......पावकी देवी......, जिला ......टिहरी गढ़वाल......

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड़ में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य में 126कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, ,0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...तिमली...... द्वारा दिनांक 29-12-21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों हा हनन नहीं हो रहा है |

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा ..तिमली........के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है |

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है |

सन्तोषी देवी
हस्ताक्षर/-

हस्ताक्षर/- अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

प्रधान ग्राम पंचायत तिमली
सन्तोषी देवी
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...तिमली......
वि0 ख0 नरेन्द्र नगर
जनपद–टिहरी गढ़वाल

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभवित हो रही है,तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए |

दिनांक 29-12-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....तिमली............

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	कनवर सिंह S/o मोती सिंह	कंवर सिंह
(2)	गुलाब सिंह S/o जीत सिंह	गुलाब सिंह
(3)	जयपाल सिंह S/o कृपाल सिंह	जयपाल सिंह
(4)	मोहन सिंह S/o जयपाल सिंह	Mohan Singh
(5)	अनिल S/o [illegible]	Anilsingh

प्रधान ग्राम पंचायत तिमली
ह0 / सन्तोषी देवी
ग्राम प्रधान
टिहरी गढवाल

137

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे0) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बवाणी

तहसील पावकी देवी जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य में 126कि0 मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0 वी0 विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, ,0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बवाणी द्वारा दिनांक 11-11-21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों हा हनन नहीं हो रहा है |

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा बवाणी......के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है |

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है |

हस्ताक्षर/- अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
वि0 ख0 नरेन्द्र नगर
जनपद–टिहरी गढ़वाल

हस्ताक्षर/-
प्रधान ग्राम पंचायत बवाणी
ह0
दिनांक......
वि0 ख0 नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)
ग्राम प्रधान

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभवित हो रही है,तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए |

दिनांक 11-11-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बवाणी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	उमेद सिंह	Umedsingh
	कुशाल सिंह	K. Singh
	बचन सिंह	बचन सिंह
	भगवान सिंह	भगवान सिंह
	शूरवीर सिंह	Shoor Vir Singh

ह0
ग्राम प्रधान

140